(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 2 **नई दिल्ली 1 जनवरी 2009**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा पट्टे पर दिए भूखंड के पट्टा किराए की वैधता को दीर्घ / अल्प कालिक आधार पर, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(ब्रह्मदत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी / 33/2003-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास -------- आवेदक

आ दे श

(दिसम्बर, 2008 के 17 वें दिन पारित)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दीर्घकालिक / अल्पकालिक आधार पर पट्टे पर आबंटित भूखंडों के पट्टा किराया इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 20 जनवरी 2005 को संशोधित किए गए थे । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया पिछले प्रभाव 20 फरवरी 2002 से लागू किए गए थे और 19 फरवरी 2007 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध थे ।

2. इस प्राधिकरण ने इन पट्टा किरायों की वैधता 20 फरवरी 2007 से छ: माह बढ़ाने के लिए 28 मार्च 2007 को एक आदेश पारित किया था । तदनन्तर, इनकी वैधता को दिनांक 28 जनवरी 2008 के आदेश द्वारा 30 जून 2008 या उस आदेशक के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, जो पत्तन न्यास द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर पारित किया जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाया गया था ।

3. भूखंडों के पट्टा किराया के संशोधन के लिए एनएमपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर, सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आवश्यक प्रक्रिया कर दी गई है । परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया जाना है । संयुक्त सुनवाई के पश्चात आंतरिक जांच पड़ताल और विश्लेषण के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी ।

4. जैसा कि वर्तमान पट्टा किरायोंकी वैधता 30 जून 2008 को समाप्त हो गयी है और क्योंकि पट्टा किरायों को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सूनवाई के बाद कुछ और समय की आवश्यकता होगी, यह प्राधिकरण वर्तमान पट्टा किरायोंकि वैधता इनकी समाप्त होने की तीथि से 31 मार्च 2009 तक या इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जानेवाले आदेश के क्रियानावयन की प्रभावी तीथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष